

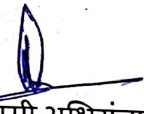
प्रारूप-11

परियोजना का नाम :- 126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 हे०) तक निर्माण कार्य

Justification for locating the project in forest area

उत्तराखंड का 65% भूभाग वन भूमि के रूप में अभिलिखित है व राज्य के पर्वतीय जनपदों में वन भूमि का क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष 50 से 90 प्रतिशत तक है। उत्तराखंड वन बाहुल्य राज्य होने व राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत इस पर्वतीय राज्य के विकास के परिप्रेक्ष्य में अति महत्वपूर्ण है वन बाहुल्य राज्य होने व राज्य के पर्वतीय जनपदों में विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वैकल्पिक गैर वन भूमि की अनुपलब्धता के कारण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन ही एकमात्र विकल्प है।

विभिन्न मानदंडों, क्षेत्रीय विकास मानदंडों और उपयुक्त भूमि की उपलब्धता एवं उत्तराखंड राज्य में 65% भूमि जंगल (वन) के तौर पर दर्ज होने के कारण प्रस्तावित भूमि वन भूमि ही एक मात्र, उपयुक्त विकल्प है।


अधिसासी अभियंता
अधिसासी अभियंता
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, टिहरी,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(नई टिहरी (टिहरीवाला))